कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय रीवा खंड रीवा (म0प्र0)

निविदा सूचना क्र0 32/25–26/ब0ले0लि0/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/26, रीवा, दिनांक 13.05.2026

ई–टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना

(1) निम्नलिखित कार्यों हेतु **ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑन लाइन निविदायें** एपेन्डिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकीय विभाग, भोपाल की नलकूपों के खनन एवं अन्य कार्य से संबंधित दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील एकीकृत दर सूची एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक किए गए समस्त संशोधनों के आधार पर केन्द्रीयकृत नवीन पंजीयन के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा ऑन लाइन टेण्डर प्रकिया के तहत आमंत्रित की जाती है।

ऑन लाइन निविदा पब्लिशिंग का दिनांक 14.05.2026 .डाक्यूमेन्ट डाउन लोड/टेण्डर फार्म क्रय प्रारम्भ तिथि 14.05.2026 टेण्डर फार्म क्रय की अंतिम तिथि 27.05.2026 बिड सबमिशन प्रारम्भ का दिनांक 14.05.2026 एवं बिड सबमिशन का अंतिम तिथि 27.05.2026 को सायं 5.30 बजे तक निर्धारित हैं। Manadatory 'A' & Financial bid Open का दिनांक 29.05.2026 को अपरान्ह 3.30 बजे निर्धारित है।

(2) उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय बेवसाइट **(http//www.mptenders.gov.in)** पर प्रदर्शित है।

(3) निविदाऍ, निर्धारित तिथि दिनांक 29.05.2026 को खोली जावेंगी।

(4) कार्य का विवरण :–

रीवा जिले के विकासखण्ड गंगेव के विभिन्न ग्रामों की योजनाओं में जल जीवन मिशन के तहत पुनरीक्षित डी.पी.आर अन्तर्गत, आर.सी.सी0 उच्चस्तरीय टंकी निर्माण, सम्पवेल निर्माण, ट्यूबवेल पर आधारित रेट्रोफिटेड पाइप जलापूर्ति का निर्माण, निष्पादन, सबमर्सिवल मोटर पंप की स्थापना, कियाशील घरेलू नल कनेक्शन, 90 दिवस के ट्रायल रन एवं कमिशनिंग आदि समस्त कार्य सामग्री एवं लेबर सहित।

ई– टेण्डर नं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	कार्य की अनु0 लागत (रू0 लाख में)	प्रतिभूति राशि रू0 में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	3		4	5	6	7
2026_PHED_505688_1	पटना, करारी, मदरी, मौहरिया–485, सोनवर्षा, मौहरिया–486, गंगेव, घुचियारी, पुर्वा–310, चंदेह, सथिनी (तृतीय आमंत्रण)	गंगेव	362.98	362980.00	15000.00	9 माह (वर्षा ऋतु सहित)

नियम एवं शर्तें :–

1. सशर्त निविदाए मान्य नहीं की जावेगी।
2. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निविदा आमंत्रण कर्ता को होगा।
3. निविदाकारों का आयकर विभाग में स्थायी लेखा नम्बर (PAN) तथा माल एवं सेवाकर (GST) में पंजीकृत होना भी अनिवार्य हैं। जिसका प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ देना होगा।
4. निविदाकार का नियमानुसार संबंधित कर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है। देयक से आयकर, जी एस टी एवं कर्मचारी कल्याण उपकर सहित अन्य कर तथा वैधानिक कटोत्रा नियमानुसार किया जायेगा।
5. निविदा से संबंधित अर्हता संबंधी समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्रस्तुत (Online) किये जायेंगे। विभाग द्वारा चाहे जाने पर ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में निविदाकार की निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
6. शासन के आदेश कमांक एफ 16–50/2017/2/34 दिनांक 31 जुलाई 2017 के अनुसार 1 जुलाई 2017 से लागू माल एवं सेवाकर (GST) सभी वर्क कान्ट्रेक्ट पर 18 प्रतिशत की दर से लगेगा। शासन के इस आदेश अनुसार ठेकेदार को देयक भुगतान के समय जी.एस.टी. की जो दर देयक पर लागू हो उसके अनुसार टैक्स का भुगतान पृथक से ठेकेदार को किया जावेगा। जी0एस0टी0 को छोड़कर (Exclusive of GST) शेष समस्त कर, उपकर, लेवी, फी, टोल इत्यादि के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा तथा यह माना जायेगा कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव (Financial Offer) में उक्त राशि का भुगतान सम्मिलित है।

7. उपयोग की गई सामग्री से संबंधित रायल्टी की रसीदें देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी अन्यथा देयक से रायल्टी काटकर राजस्व मद में जमा कर ली जावेगी, जिसे विभाग संबंधित निविदाकार को वापिस करने हेतु बाध्य नहीं होगा।

8. धरोहर राशि (EMD) इलेक्ट्रॉनिक (e-EMD) रूप में ही ली जायेगी।

9. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाकार अपने बैंक अकाउंट की जानकारी एम.पी. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर अपने लॉग–इन आई.डी. से लॉग–इन कर बैंक अकाउंट डिटेल्स फार्म में दर्ज करेंगे।

10. निविदाकार RTGS/NEFT/Debit Card/Credit Card/Net Banking के माध्यम से ई. एम. डी. (e-EMD) की राशि पोर्टल पर जमा कर सकेंगे उसके बाद वे निविदा में भाग लेने की कार्यवाही पूर्ववत करेंगे।

11. वित्तीय आफर खुलने के उपरांत न्यूनतम निविदाकार की ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) की राशि को छोड़कर शेष सभी निविदाकारों द्वारा जमा ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) की राशि पोर्टल के माध्यम से वापस की जाएगी, जो कि निविदाकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड बैंक खाते में ही वापस होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) जमा करने वाले निविदाकार किसी भी खाते से ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) की राशि जमा कर सकेंगे परन्तु वापसी निविदाकार के रजिस्टर्ड बैंक खाते में ही होगी। सफल निविदाकार की ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) की राशि अनुबंध करने तक रोक कर रखी जाएगी तथा अनुबंध निष्पादित किये जाने के उपरांत वापस की जाएगी।

12. ई.एम.डी. (EMD) राजसात किये जाने की स्थिति में निविदाकार द्वारा जमा ई.–ई.एम.डी. (e-EMD) की राशि पोर्टल पर राजसात की जाएगी तथा राजसात की गयी राशि सर्विस प्रोवाईडर द्वारा तुरंत लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग के 8443 सिविल जमा खाते में जमा की जाएगी जिसे निक्षेप खाते के धारक द्वारा चालान के माध्यम से राजस्व प्राप्तियॉं <u>0215</u> शीर्ष में जमा कराई जाएगी।

13. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में संलग्न एनेक्सर–बी अनुसार सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना होगा।

14. प्राप्त न्यूनतम निविदा दर (एल–1) पंद्रह प्रतिशत से अधिक नीचे (More Than Fifteen Percent Below) होने पर निविदा दर को अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) माना जावेगा। अव्यवहारिक दरें (Unworkable Rate) प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार (एल–1) द्वारा निविदत्त दर अनुसार गणित निविदा राशि (Tendered Amount) एवं एस.ओ.आर. पर निविदा की लागत से 15 प्रतिशत कम राशि (Amount 15% below PAC) के अंतर की राशि अतिरिक्त परफारमेंस ग्यारंटी के रूप में (Additional Performance Guarantee) ली जायेगी। Additional Performance Guarantee प्राप्त होने के उपरांत ही अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

15. अतिरिक्त परफोरमेंस गारंटी उसी प्रारूप में ली जावेगी जिसमें अरनेस्ट मनी/ परफारमेंस ग्यारंटी (Earnest Money/Performance Guarantee) ली जाती है।

16. Additional Performance Guarantee भौतिक रूप से कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र (Physical Completion Certificate) जारी होने के पश्चात ही वापस की जाए।

17. निविदा स्वीकृति के उपरांत निविदाकार को अनुबंध हेतु विभाग द्वारा पत्र जारी किया जावेगा, जिसकी सूचना निविदाकार को एस.एम.एस./व्हाटसएप्प/ई–मेल से दी जावेगी, निविदाकार को पत्र जारी होने के दिनांक के 15 दिवस के अंदर अनुबंध निष्पादित कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा बिना किसी अन्य सूचना के उनकी अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा निविदाकार फर्म एवं उसके भागीदार (यदि कोई हो तो) को आगामी एक वर्ष के लिये संपूर्ण प्रदेश में विभागीय कार्यो की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जा सकेगा। निविदा अनुबंध ही कार्यादेश होगा, पृथक से कोई कार्यादेश जारी नही किया जावेगा।

18. म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 मार्च 2020 अनुसार यदि संविदा मूल्य रू. 50.00 लाख तक है तो रू0 500/– एवं यदि संविदा मूल्य रू0 50.00 लाख से अधिक है तो रू. 5.00 लाख रू0 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए संविदा मूल्य का 0.1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित होगा या जी0एस0टी0 लागू होने पर जो भी निविदा अनुबन्ध के दस्तावेज पर दरें लागू होंगी, उसे निविदाकार द्वारा वहन करना होगा।

19. कार्यादेश एवं भुगतान आवंटन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा विलंब से होने वाले भुगतान पर कोई क्लेम निविदाकार द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

20. निविदा में निहित कार्यो के क्रियान्वयन में निर्माणकर्ता संस्था/ठेकेदार द्वारा जल जीवन मिशन के परिचालन दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यो का क्रियान्वयन किया जायेगा। जल जीवन मिशन के परिचालन दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट (www:mpphed.gov.in) पर उपलब्ध है।

21. अनुबंध का संपादन सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संबंधित खण्ड) द्वारा निविदाकार के साथ किया जायेगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (व्हीडब्ल्यूएससी)/ग्राम

पंचायत का सचिव भी अनुबंधकर्ता के रूप में शामिल होगा। इस प्रकार यह अनुबंध त्रिपक्षीय (Triparty Agreement) होगा।

22. यदि अनुबंध में एक से अधिक ग्रामों की योजना के कार्य सम्मिलित हैं तो अनुबंध में सम्मिलित सभी ग्राम की व्हीडब्ल्यूएससी/ग्राम पंचायत के सचिव अनुबंध कर्ता के रूप में सम्मिलित होंगे। प्रत्येक व्हीडब्ल्यूएससी/ग्राम पंचायत के सचिव का इस अनुबंध के तहत् दायित्व उसके ग्राम तक सीमित होगा।

23. स्थापित नलजल योजना की रेट्रोफिटिंग संबंधी कार्य की निविदा में योजना के स्थापित अवयवों में आवश्यक सुधार निविदाकार द्वारा किये जाकर योजना को पूर्ण रूप से चालू किया जायेगा। इस प्रकार किये गये सुधार कार्य हेतु निविदाकार को भुगतान अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। यदि कोई आयटम जो कि बीओक्यू में शामिल नहीं है किन्तु योजना को पूर्ण रूप से चालू करने हेतु उसका क्रियान्वयन आवश्यक है तो ऐसे अतिरिक्त आयटम का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर उसका क्रियान्वयन किया जायेगा।

24. स्थापित योजना की रेट्रोफिटिंग/आवर्धन की निविदा के प्रकरण में निविदाकार को अनुबंध संपादन के दिनांक से 07 दिवस में योजनाओं के समस्त स्थापित अवयवों को, भौतिक सत्यापन उपरान्त अपने अधिपत्य में लेना होगा। अनुबंध संपादन के 07 दिवस में सत्यापन न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि विभाग द्वारा उल्लेखित तथ्य निविदाकार को मान्य/स्वीकार्य है, उसके उपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।

25. ठेकेदार से देयक के भुगतान (Running Payment) हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा सूचीबद्ध थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी (टीपीआई) में से डीडब्ल्यूएसएम द्वारा चयनित/अनुबंधित टीपीआई द्वारा निरीक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यस्थल पर कार्य का व्हीडब्ल्यूएससी/ग्राम पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ निम्नानुसार पहलुओं को सम्मिलित करते हुये नलजल योजना के तहत निष्पादित सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल घटकों से संबंधित सभी इंजीनियरिंग कार्यो का पर संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा :-

25.1) निम्नलिखित की नमूना जाँच की जायेगी :-

25.1.1 निर्माण के लिये प्रयुक्त सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट;
25.1.2 कार्यस्थल पर निर्माण के समय पर अपनाये गये गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय;
25.1.3 कार्यस्थल पर निर्माण के समय पर अपनाये गये सुरक्षा उपाय;
25.1.4 ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों का भुगतान।

25.2) भुगतान के लिये प्रस्तुत बिल के अनुसार निष्पादित कार्यों की मात्रा और गुणवत्ता;

25.3) ट्रायल रन के दौरान नलजल योजना का परफॉरमेन्स;

26. संयुक्त निरीक्षण से संबंधित समस्त बिन्दुओं को ग्राम पंचायत/उपसमिति/ व्हीडब्ल्यूएससी द्वारा इस कार्य हेतु तैयार वर्क रजिस्टर में नोट किया जायेगा और उस पर समस्त पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसके आधार पर विभाग माप पुस्तिका (एम.बी.) में माप को रिकार्ड करेगा तथा संयुक्त निरीक्षण उपरांत भुगतान हेतु अनुशंसा प्राप्त होने पर विभाग निष्पादित कार्य के लिये भुगतान हेतु प्रक्रिया शुरू करेगा।

27. व्हीडब्ल्यूएससी के सहयोग हेतु ग्राम में क्रियान्वयन सहायता संस्था (आईएसए) उपलब्ध होगी, जिसके दायित्व जल जीवन मिशन के परिचालन दिशा-निर्देश में उल्लेखित है। योजनान्तर्गत आईएसए द्वारा ग्राम के घरों का सर्वेक्षण कर उन घरों में दिये जाने वाले नल कनेक्शन हेतु गृह स्वामी का नाम, आधार नम्बर एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त करेगी। यह जानकारी आईएसए द्वारा एक रजिस्टर में संधारित की जायेगी। आवश्यकता अनुसार इस जानकारी का वेरिफिकेशन विभाग/व्हीडब्ल्यूएससी द्वारा किया जायेगा। यदि ग्राम में आईएसए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त दायित्व का निर्वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा योजनान्तर्गत ग्राम में नल कनेक्शन देने के उपरांत इसी रजिस्टर पर गृह स्वामी के हस्ताक्षर/अंगूठा प्राप्त किया जायेगा तथा कार्यवाही पूर्ण होने पर रजिस्टर विभाग को सौंपना होगा। इस रजिस्टर में दर्ज घरों की संख्या एवं दिये गये नल कनेक्शन के वेरिफिकेशन के उपरांत ही घरेलू नल कनेक्शन हेतु निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा।

28. योजना में प्रस्तावित पाईप का व्यास, पंप की क्षमता आदि विभाग के द्वारा योजना के रूपांकन (Design) पर आधारित है। निविदाकार योजना हेतु अपनी Design दे सकता है। इस Design के कारण यदि पाईप लाईन के व्यास/लम्बाई तथा पंप की क्षमता में परिवर्तन होता है तो उसका भुगतान अनुबंध के GCC Section-3 की कंडिका 21 के अनुसार किया जायेगा। निविदाकार द्वारा योजना की नवीन Design प्रस्तुत करने पर उच्चस्तरीय टंकी की क्षमता में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। निविदाकार द्वारा इस प्रकार योजना की नवीन Design प्रस्तुत करने पर उक्त नवीन डिजाईन-ड्राइंग का अनुमोदन अधीक्षण यंत्री संबंधित मण्डल द्वारा किया जायेगा।

29. यदि उच्च स्तरीय टंकी की डिजाईन-ड्राइंग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो उक्त डिजाईन-ड्राइंग का अनुमोदन इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

30. आरसीसी उच्च स्तरीय टंकी के डिजाईन में बॉटम स्लैब का रूपांकन फ्लैट स्लैब के रूप में किया जावेगा।

31. आरसीउच्च स्तरीय टंकी/जीएसआर/सम्पवेल के निर्माण के पूर्व प्रस्तावित स्थल की Soil Bearing Capacity का परीक्षण ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर कराकर परीक्षण रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करना होगी।

32. निविदाकार द्वारा विभाग में उपलब्ध (यदि कोई हो तो) आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी/सम्पवेल/आर.सी.सी. कम ब्रिक मेसनरी पंप हाउस की डिजाइन–ड्राइंग उपयोग में लाई जा सकेंगी, इस हेतु संबंधित आयटम हेतु देयक कुल राशि में से आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी हेतु रूपये 25000/– जीएसआर/सम्पवेल/सम्पवेल कम पंप हाउस हेतु रूपये 7500/– एवं आर.सी.सी. कम ब्रिक मेसनरी पंप हाउस (सम्पवेल के ऊपर न बनाते हुये पृथक से बनाये जाने वाले पंप हाउस हेतु) हेतु रूपये 5000/– की कटौती संबंधित आयटम के प्रथम देयक से की जायेगी।

33. विद्युत कनेक्शन कार्य निविदाकार द्वारा निविदा में स्वीकृत दरों के अनुरूप संबंधित म0प्र0 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदत्त प्राक्कलन/MPVVCL के SOR मे निर्धारित मापदंड अनुसार किया जावेगा। इस स्थिति में निविदा आमंत्रण की दिनांक को लागू MPVVCL के SOR की दरे मान्य की जायेंगी।

34. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन से संबंधित व्यय, तथा निविदाकार द्वारा प्रयुक्त किसी भी सामग्री अथवा उपकरण के खराब होने पर अथवा मानकों के अनुरूप न होने पर उसको बदलने/सुधार करने में हुये व्यय का विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

35. योजना के हस्तांतरण के समय निविदाकार के द्वारा Engineer-in-Charge द्वारा अनुमोदित As Built Drawings तीन प्रतियों में विभाग/व्हीडब्ल्यूएससी/पंचायत को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

36. ठेकेदार द्वारा निर्मित अवयवों यथा टंकी, सम्पवेल, जल वितरण प्रणाली का आवश्यकतानुसार डिसइनफेक्शन (Disinfection) का दायित्व होगा। इस हेतु पृथक से कोई भुगतान निविदाकार को नहीं किया जायेगा।

37. निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि जल वितरण के दौरान पेयजल पाईप लाईन में टूट–फूट, वाल्व लीकेज इत्यादि से प्रदूषित न हो।

38. निविदाकार द्वारा जल प्रदाय के संबंध में एक पंजी संधारित की जायेगी। इसका सत्यापन विभागीय उपयंत्री द्वारा कम से कम 15 दिवस में एक बार किया जायेगा। भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करते समय उक्त पंजी की छायाप्रति निविदाकार द्वारा संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पंजी की छायाप्रति संलग्न न होने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जायेगा।

39. नल कनेक्शन घर के ओटले पर/बाड़े/फैसिंग/बाउण्ड्रीवाल के अंदर देना है। इसके लिए जितना भी एमडीपीई/जीआई (बी.ओ.क्यू. में निर्धारित पाईप मटेरियल अनुसार) पाईप लगेगा, उक्त पाईप निविदाकार या फर्म को लगाना होगा। इस पाईप का भुगतान अलग से नहीं किया जावेगा। सडक के पास किए गए नल कनेक्शन मान्य नही होगें।

40. निविदाकार द्वारा विभाग में सूचीबद्ध Make/Brand की सामग्री का ही उपयोग किया जायेगा। सूचीबद्ध मेक/ब्रांड की सामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में निविदाकार Engineer-in-Charge को अवगत करायेगा। Engineer-in-Charge यदि आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव अधीक्षण यंत्री को प्रेषित करेंगे। विभाग द्वारा समय–समय पर सामग्री के मेक/ब्रांड की सूची निविदा अनुबंध के बाद भी जारी की जायेगी जिसमें शामिल सामग्री के मेक/ब्रांड का उपयोग भी इस अनुबंध के तहत किया जा सकेगा। निविदाकार द्वारा सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण सामग्री के फैक्टरी से डिस्पेच के पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी (टीपीआई) से कराना आवश्यक होगा जिसके उपरांत ही सामग्री का प्रदाय स्थल पर किया जायेगा। थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु देय राशि का पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा, यह राशि सामग्री की लागत में शामिल है। थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षित सामग्री के प्रमाण पत्र के साथ प्रदायकर्ता/निर्माणकर्ता कंपनी के बिल की सत्यापित प्रति भी देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाण पत्र में उल्लेखित सामग्री की मात्रा का मिलान कंपनी के बिल में उल्लेखित मात्रा से होने पर ही संबंधित सामग्री का भुगतान किया जायेगा। निविदाकार द्वारा सूचीबद्ध Make/Brand की कंपनी से सामग्री क्रय करने के संबंध में सामग्रीवार पत्र कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड से लिया जायेगा जिसमें अनुबंध में उल्लेखित/अनुबंध के अनुसार कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक सामग्री की मात्रा का उल्लेख होगा तथा इस प्रमाण–पत्र को निविदाकार द्वारा सूचीबद्ध Make/Brand की कंपनी को दिये जाने वाले क्रय आदेश के साथ संलग्न किया जायेगा। सूचीबद्ध Make/Brand की कंपनी द्वारा सामग्री तैयार होने पर थर्ड पार्टी परीक्षण एजेंसी को निरीक्षण हेतु आमंत्रित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री के उक्त पत्र को अपने आमंत्रण के साथ थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी को प्रेषित करना होगा।

41. कंडिका 40 में उल्लेखित टीपीआई कंडिका 25 में उल्लेखित टीपीआई से भिन्न होगी। कंडिका 25 में उल्लेखित टीपीआई निविदाकार द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता का निरीक्षण करेगी, जबकि कंडिका 40 में उल्लेखित टीपीआई सामग्री की फैक्ट्री में गुणवत्ता परीक्षण करेगी।

42. सामग्री के फैक्ट्री से रवाना होने के पूर्व निरीक्षण/परीक्षण हेतु निम्नानुसार टीपीआई निर्धारित है :–

क्र.	सामग्री का विवरण	टीपीआई एजेंसी
1.	प्लास्टिक पाईप– एच.डी.पी.ई, एम.डी.पी.ई., सी.पी.व्ही.सी, ओ.पी.व्ही.सी. पाईप सहित अन्य समस्त प्रकार के प्लास्टिक पाईप, फिटिंग एवं अन्य प्लास्टिक मटेरियल।	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट)
2.	डी.आई./जी.आई पाईप।	सिपेट, राईट्स, आई.आर.एस., ई.आई.एल.
3.	मोटर पंप, वाल्व–स्पेशल्स एवं अन्य सामग्री जो इस तालिका के सरल क्रमांक 1 व 2 में शामिल नहीं है।	राईट्स, आई.आर.एस.,ई.आई.एल.

43. निविदाकार द्वारा कार्य के क्रियान्वयन के दौरान यदि किसी विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती है तो ऐसी अनुमतियॉ निविदाकार द्वारा ली जावेगी तथा विभाग द्वारा इन अनुमतियों को प्राप्त करने में यथासंभव मदद की जावेगी। अन्य विभागों से अनुमति प्राप्त करने में यदि इन विभागों द्वारा किसी भी प्रकार की फीस या राशि की मांग की जाती है, तो यह फीस/राशि निविदाकार द्वारा संबंधित विभाग को दी जावेगी जिसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा निविदाकार को की जावेगी।

44. निविदाकार को योजना में प्रयुक्त होनी वाली सामग्री जैसे पाईप, वाल्व, स्पेशल्स सरिये, सीमेंट, रेत गिटटी, आदि आई.एस.आई. स्पेशिफिकेशन के अनुसार लगानी होगी।

45. चलित देयक से पाईप लाईन की टेस्टिंग हेतु राशि इस सेक्शन की कंडिका 63 में उल्लेखित प्रतिशत के अनुसार रोकी जायेगी। पाईप लाईन का निर्धारित मापदण्ड अनुसार पानी के दबाव पर टेस्टिंग संतोषप्रद होने पर चलित देयक से टेस्टिंग हेतु रोकी गई राशि का भुगतान किया जावेगा। टेस्टिंग के समय लीकेज व अन्य दोष निविदाकार को स्वयं के व्यय पर ठीक करना होगा।

46. पाईप लाईन की खुदाई करते समय व पूर्व में दूरभाष विभाग से टेलीफोन केबल लाईन की जानकारी अनुसार ही खुदाई का कार्य करेगें, यदि टेलीफोन केबल इत्यादि एवं अन्य कोई क्षति होती है तो निविदाकार की सम्पूर्ण जवाबदारी होगी ।

47. पाईप लाईन हेतु पाईप व स्पेशल निविदाकार द्वारा प्रदाय किया जावेगा। परिवहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा, टूट फूट की सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी।

48. यदि ब्लास्टिंग की आवश्यकता होती है तो निविदाकार द्वारा नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर किसी लायसेन्सिंग होल्डर से ब्लास्टिंग कार्य किये जावेगें। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना व अनियमितता होती है तो निविदाकार स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

49. आवश्यकतानुसार रोड को काट कर पाईप लाईन बिछानी होगी तथा पाईप लाईन की टेंस्टिंग उपरांत कांक्रीट कर रोड को कांक्रीट ग्रेड एम–20 अथवा तोड़ी गई कांक्रीट रोड के कांक्रीट ग्रेड के अनुसार (जो बेहतर हो) निर्मित करना होगा। किये गये कार्य की वास्तविक मात्रा के अनुसार निविदाकार को भुगतान किया जायेगा।

50. सभी सिविल कार्य लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मान्य होगा।

51. विद्युत कार्य हेतु आवश्यक सामग्री म.प्र.वि.वि.कंपनी के संबंधित अधिकारी (कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/अभियंता) से निरीक्षण के उपरांत उचित गुणवत्ता की पाई जाने पर ही उपयोग की जावेगी तथा ट्रांसफार्मर की गारंटी 2 वर्ष की अवधि तक होगी। 2 वर्ष की अवधि में ट्रांसफार्मर खराब होने पर निविदाकार को स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर तत्काल ठीक कराना होगा।

52. विद्युत कार्य पूर्ण होने के उपरांत निविदाकार को संपादित कार्य म.प्र.वि.वि.कंपनी को हस्तांतरित कर हस्तांतरण पत्रक प्रस्तुत करने पर ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा

53. विद्युत कार्य विद्युत कंपनी के नियमानुसार कंपनी में ''अ'' श्रेणी में पंजीवद्व निविदाकार के माध्यम से ही कराना होगा ।

54. नलजल योजना के सिविल/पाईप लाईन एवं विद्युत संबंधी कार्य में किसी भी कार्य का कटोत्रा अथवा अतिरिक्त मात्रा का मूल्यांकन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग तथा विद्युत कंपनी के निविदा आमंत्रण दिनांक को प्रचलित एस.

ओ.आर. के अनुरूप निविदा में प्रदत्त दरों के आधार पर किया जावेगा। विद्युत कंपनी के द्वारा दिये गये प्राक्कलन में Centage तथा Transpotation Charge यदि कोई हो तो उनका भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जायेगा।

55. नलजल प्रदाय योजना के निर्माण एवं ट्रायल–रन् की अवधि के दौरान निविदाकार द्वारा नियोजित कर्मियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर की जायेगी। कार्य संपादन के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना एवं उसके वैधानिक परिणामों के लिये निविदाकार पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

56. सम्पूर्ण नलजल योजना का ट्रायल–रन निविदाकार को ट्रायल–रन की निर्धारित अवधि 90 दिवस तक करना होगा। योजना के ट्रायल–रन की अवधि में अनुबंध अनुसार योजना के समस्त अवयवों के कार्य संतुष्टि के साथ पूर्ण किये जाने के संबंध में कार्यपालन यंत्री द्वारा निविदाकार को पत्र जारी किया जायेगा। इस प्रकार कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी किये गये पत्र की दिनांक से ट्रायल–रन की अवधि प्रारंभ होगी। ट्रायल–रन की अवधि के दौरान ग्राम के शत्प्रतिशत परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता का पेयजल 90 दिवस तक सतत् रूप से उपलब्ध होने पर तथा योजना समस्त अवयवों के कार्य से विभाग/ग्राम पंचायत/व्हीडब्ल्यूएससी के संतुष्ट होने पर ट्रायल–रन की अवधि पूर्ण होगी। योजना के ट्रायल–रन अवधि के दौरान निविदाकार द्वारा ग्राम पंचायत/व्हीडब्ल्यूएससी के सदस्यों एवं उनके द्वारा चयनित ऑपरेटर आदि को योजना के संचालन–संधारण हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। ट्रायल–रन पूर्ण होने के उपरांत योजना संचालन–संधारण हेतु ग्राम पंचायत/व्हीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित की जायेगी।

57. निविदाकार द्वारा योजना के विभिन्न अवयवों यथा पंप हाउस, उच्च स्तरीय टंकी, जल शोधन संयंत्र, पाईप लाईन एवं वाल्व्स आदि का सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल के प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार ट्रायल–रन किया जायेगा।

58. यदि ट्रायल–रन अवधि में किसी नलजल योजना का स्त्रोत असफल हो जाता है, अथवा स्त्रोत में जल आवक क्षमता अपर्याप्त हो जाती है तो Engineer in Charge विभागीय रूप से वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है, अथवा इस हेतु आवश्यक कार्य का प्राक्कलन तैयार कर, ऐसे कार्य की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर, ऐसे कार्य को इसी अनुबंध के अंतर्गत निविदाकार के माध्यम से क्रियान्वित करा सकेगा। निविदाकार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसा कार्य नियत समयावधि में स्वीकृत निविदा दर पर पूर्ण करेगा एवं विभाग द्वारा इस कार्य का भुगतान किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर आवश्यकता होने पर इस कार्य हेतु अनुबंध के प्रावधान अनुसार समयावृद्धि दी जा सकेगी। इस प्रकार अतिरिक्त रूप से किये गये कार्य के पूर्ण होने की दिनांक से ट्रायल–रन की 90 दिवस की अवधि इस अतिरिक्त कार्य के लिये प्रभावी होगी।

59. योजना के ट्रायल–रन के दौरान होने वाला समस्त व्यय निविदा दर में सम्मिलित है, अर्थात् ट्रायल–रन के दौरान निविदाकार को पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी किन्तु योजना के संचालन के दौरान प्राप्त होने वाले विद्युत देयक की राशि का भुगतान सामान्यतः पंचायत/पेयजल उपसमिति/व्हीडब्ल्यूएससी द्वारा किया जायेगा।

60. योजना का सफलता पूर्वक ट्रायल–रन पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी किये जाने पर बीओक्यू के विभिन्न आयटमों में प्रावधानित ट्रायल–रन (Successful Trial Run of Entire Scheme) की राशि का भुगतान निविदाकार को किया जा सकेगा।

61. ट्रायल रन की अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से निविदाकार को योजना के प्रत्येक स्त्रोत के जल के नमूने स्वयं के व्यय पर परीक्षण हेतु कम से कम 15 दिवस में एक बार विभाग की जिला/उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित करने होंगे। नमूनों का परीक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क किया जायेगा। जल परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले नमूनों की आवृत्ति विभिन्न ऋतुओं में विभाग के निर्देशानुसार कम या अधिक हो सकती है। परन्तु आवृत्ति अधिक होने पर भी निविदाकार को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

62. योजना के ट्रायल–रन की अवधि में किसी आवेदक द्वारा नल कनेक्शन की मांग किये जाने पर ग्राम पंचायत/पेयजल उपसमिति/व्हीडब्ल्यूएससी की अनुशंसा पर निविदाकार द्वारा संबंधित आवेदक को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु निविदाकार को निविदा के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

63. यदि मुख्य ग्राम के किसी बसाहट/मोहल्ले/भाग में नलजल योजना स्थापित है तथा मुख्य ग्राम में इस अनुबंध के तहत योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा ऐसी बसाहट/मोहल्ले/ग्राम में स्थापित नलजल योजना को मुख्य ग्राम की योजना से जोड़ा जा रहा है तो निविदाकार द्वारा दोनों क्षेत्र (मुख्य ग्राम एवं बसाहट/मोहल्ला/ग्राम) की योजनाओं का समग्र रूप से ट्रायल–रन किया जायेगा।

64. निविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि जल स्त्रोत की गुणवत्ता स्थानीय कारणों से (जैसे–स्त्रोत में प्रदूषित पानी मिलना, स्त्रोत के पास कूड़े–कचरे, गोबर होना आदि) प्रभावित न हो।

65. निविदा की बी.ओ.क्यू. (Bill of Quantities) के ऐसे आयटम जिसमें "Providing laying /jointing/ installation and testing/ commissioning" का कार्य सम्मिलित है, उन आयटमों का भुगतान निम्नानुसार ब्रेकअप में किया जायेगा :–

1.	सामग्री का स्थल साइट/स्टोर पर प्रदाय होने के उपरांत **(Providing/ Procurment)**	आयटम दर का 60 प्रतिशत
2.	सामग्री को निर्धारित स्थल पर लगाने के उपरांत **(Laying/ Jointing/ Installation) :-**	
(a)	पावर पंप/ट्रांसफार्मर स्थापना संबंधी कार्य :– पंप स्थापना एवं नियमित विद्युत संयोजन कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 20 प्रतिशत
(b)	पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति हो :– Laying / Jointing तक का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 20 प्रतिशत
(c)	पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति न हो:– Laying/Jointing तक का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 30 प्रतिशत
3.	**After Testing & Commissioning :-**	
(a)	पावर पंप/ट्रांसफार्मर स्थापना संबंधी कार्य :– Testing & Commissioning पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 15 प्रतिशत
(b)	पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति हो :– Testing & Commissioning एवं Road Restoration (Making good the same) का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 15 प्रतिशत
(c)	पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति न हो:– Testing & Commissioning एवं पाईप लाईन ट्रैंच की Backfill का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 5 प्रतिशत
4.	**After Successful Trial-Run of Entire Scheme :-**	
(a)	पावर पंप/ट्रांसफार्मर स्थापना संबंधी कार्य :– Testing & Commissioning पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 5 प्रतिशत
(b)	पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति हो :– Testing & Commissioning एवं Road Restoration (Making good the same) का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 5 प्रतिशत
(c)	पाईप लाईन कार्य जहाँ Road Cutting की स्थिति न हो:– Testing & Commissioning एवं पाईप लाईन ट्रैंच की Backfill का कार्य पूर्ण करने पर।	आयटम दर का 5 प्रतिशत

उपरोक्त ब्रेकअप पाईप, पंप, स्पेशल्स, ट्रांसफार्मर, Electric Conductor And Pole के प्रदाय संबंधी आयटमों पर ही लागू होगा। अन्य आयटमों के भुगतान पर उक्त ब्रेकअप लागू नहीं होगा तथा उनका भुगतान बी.ओ.क्यू. की दर के अनुरूप संबंधित आयटम के पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने पर ही होगा।

66. उपरोक्त प्रावधान निविदाकार के Cash Flow को बनाये रखने के उददेश्य से किया गया है। अतः निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि वह सामग्री के प्रदाय के साथ–साथ laying/jointing/installation का 07 दिवस में प्रारंभ करे यदि निविदाकार द्वारा मात्र सामग्री का प्रदाय किया जाता है और उसका laying/jointing/installation का 07 दिवस में कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो कार्य के अन्य देयक की राशि से उक्त राशि का कटौत्रा किया जायेगा।

67. आरसीसी उच्च स्तरीय टंकियों के BOQ Item का Payment Schedule (Breakup) निम्नानुसार होगा :–

S. No.	Stage of payment	% of amount of Item to be paid	Cumulative Percentage
1.	After casting of Leveling Course	3%	3%
2.	After foundation including columns to 1st brace level.	5%	8%
3.	After casting 50% R.C.C. Staging	10%	18%
4.	After full Staging	15%	33%
5.	After Ring Beam bottom Slab Casting	15%	48%
6.	After Casting Vertical wall of tank	15%	63%
7.	After Casting Stair-Case Including railing Work and Top Dome Slab	10%	73%
8.	Supply of all Pipes, Specials and fixing complete	12%	85%
9.	After G.L Protection Work Gate work Complete	5%	90%

10.	After Finishing work, Testing, Commissioning and completion of work of this item in all respect.	5%	95%
11.	After Successful Trial-Run of Entire Scheme	5%	100%

68- आरसीसी संपवेल / जीएसआर के BOQ Item का Payment Schedule (Breakup) निम्नानुसार होगा :–

S.No.	Stage of payment	% of amount of BOQ Item	Cumulative Percentage
1	After casting of Leveling Course	3%	3%
2	After construction of foundation slab	25%	28%
3	After construction of vertical walls	32%	60%
4	After casting of top slabs & installation of all fittings	25%	85%
5.	After Finishing work, Testing, Commissioning and completion of work of this item in all respect.	10%	95%
6.	After Successful Trial-Run of Entire Scheme	5%	100%

69. आरसीसी कम ब्रिक मेसनरी पंप हाउस के BOQ Item का Payment Schedule (Breakup) निम्नानुसार होगा :–

S.No.	Stage of payment	% of amount of BOQ Item	Cumulative Percentage
1	After construction upto cloumn and top slabs	40 %	40 %
2	After brick work and plaster	35 %	75 %
3	After electric work, painting and completion of work of this item in all respect.	25 %	100%

70. विभाग द्वारा विकसित स्त्रोत उपलब्ध कराया जावेगा। आवश्यक होने पर स्त्रोत निर्माण निविदा द्वारा कराया जावेगा एवं उसके उपरान्त जल क्षमता का परीक्षण कम से कम 24 घन्टे किया जायेगा। जल की उपलब्धता 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से होने पर ही कार्य प्रारम्भ कर सकेगा। यदि किसी योजना में सफल स्त्रोत (55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से रूपांकित जनसंख्या हेतु जल की उपलब्धता प्राप्त नही होती है) तो मात्र स्त्रोत निर्माण का भुगतान कर सी स्थिति में योजना का अंतिम देयक तैयार किया जावेगा।

71. निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पूरे ग्राम का सर्वेक्षण कर डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन की डिजाइन प्रस्तुत करनी होगी तदुपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

72. निविदाकार द्वारा निविदा डालने के पूर्व उक्त कार्य हेतु कार्य स्थल का निरीक्षण कर लिया जावे तथा पूर्व में किये गये कार्य मे सुधार का आंकलन करने के पश्चात ही निविदा दर प्रस्तुत की जावे एवं आवश्यकता पड़ने पर इस कार्यालय से कार्य के संबंधि में जानकारी प्राप्त कर ली जावे एवं निविदा की शर्तों का भलीभांति अध्ययन कर लिया जावे।

73. चूंकि निविदा शेष एवं अतिरिक्त कार्य हेतु आमंत्रित की जा रही है। अतः निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूर्व में किये गये कार्य का परीक्षण करें एवं बंद होने की स्थिति में उसका सुधार कार्य भी करें, ताकि योजना का समेकित रूप से क्रियान्वयन हो सके।

74. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म0प्र0भोपाल के आदेश क्रमांक 198 / राज(स्था.) / प्र0अ0 / लो0स्वा0यां0वि0 / 2021 दिनांक 02.09.2021 एवं पत्र क्रमांक 204 / राज(स्था.) / प्र0अ0 / लो0स्वा0यां0वि0 / 2021 दिनांक 03.09.2021 द्वारा जारी निर्देशों के अध्याधी निर्माण सामग्री के परीक्षण / टेस्टिंग तथा कांक्रीट क्यूब टेस्ट का कार्य शासकीय संस्था / प्रयोगशाला के साथ–साथ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य

यांत्रिकी विभाग जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर द्वारा सूचीबद्व निजी क्षेत्र की एन.ए.बी.एल. प्रमाणित प्रयोगशाला से भी कराया जा सकेगा। ठेकेदार द्वारा आर.सी.सी. उच्च्स्तरीय टंकी, सम्पवेल, भवन आदि के देयकों के साथ संलग्न किए जाने वाले क्यूब टेस्ट की न्यूनतम एक रिपोर्ट शासकीय संस्थान की होना आवश्यक होगा।

75 पाइप लाइन बिछाने हेतु खुदाई करने के पूर्व अन्य शर्तो के साथ Call before you Dig (CBuD) एप्प का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। बिना एप्प में सूचना दर्ज किये खुदाई किये जाने पर यदि किसी विभाग के asset क्षतिग्रस्त होता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार/एजेंसी की होगी।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खंड,
रीवा (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक /लेखा/का0यं0/लो0स्वा0यॉ0/26 रीवा, दिनांक

प्रतिलिपिः–

01. संचालक, सूचना एवं प्रकाशन संचालनालय, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
02. प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग,म0प्र0 भोपाल ।
03. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग जबलपुर/भोपाल/ग्वालियर/इन्दौर म0प्र0
04. अधीक्षण यंत्री, लो0स्वा0यां0 विभाग, मण्डल..............................(म0प्र0)
05. कार्यालयीन सूचना पटल में चस्पा करने हेतु ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड,
रीवा (म0प्र0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chitranshu
Date: .. :: IST
Location: Madhya Pradesh-MP